न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—43/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/43)

1. नाथूराम पुत्र छोटू
2. लालराम पुत्र छोटू

जाति धाकड, निवासी धुवालिया तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामनारायण पुत्र जगदीश जाति बलाई, निवासी धुवालिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. रामरतन पुत्र माहनलाल जाति महाजन निवासी केकडी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 राजस्व वाद संख्या 223/2021 (2021/450).

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय-अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 02 तलबी बंद

निर्णय

दिनांकः— 04.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 223/2021 (2021/450) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अपीलांटस उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया तथा तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए तथा उसी दिनांक को मौका रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश प्रदान किए। दिनांक 1.11.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 को तलबी हेतु अंतिम मौका

4.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिया गया तथा बिना तलबी की कार्यवाही पूर्ण किए ही दिनांक 22.11.2022 को उक्त प्रकरण में बहस सुनी जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 69 (3) की पालना किए बिना तलब की गई एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड, केकडी ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2022 द्वारा स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 223/2021 (2021/450) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अस्पष्ट कारण रहित एंव नोन स्पीकिंग तथा एक पक्षीय रूप से अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किए बिना, जवाब का अवसर बंद किया जाकर निर्णय पारित किए जाने से न्याय के सहज एवं प्राकृतिक, सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता मार्क–ए जो कि खसरा नम्बर 1151 गैर मुमकिन रास्ते में से रेस्पोडेंट संख्या 1 के खसरा नम्बर 1140, 1141 व 1142 में से होता हुआ 1149 में मिलता है जो कि नजदीकी रास्ता है तथा प्रस्तावित रास्ता भी जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 1022 जो कि अपीलांटस की खातेदारी में से चाहा गया है बाबत उक्त रिपोर्ट में दो रास्ते बाबत दर्शाया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 1151 गैर मुमकिन रास्ते में से होता हुआ खसरा नम्बर 1140, 1141, 1142 के मेड के सहारे रास्ता खसरा नम्बर 1149 में मिलता है जो कि नजदीकी रास्ता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 1022 में से रेस्पोडेंटस संख्या 1 को रास्ता देकर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास स्वयं की खातेदारी में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांटस के खते में से रास्ता कायम कर अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग करते हुए रास्ता कायम कर त्रुटि की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त पत्रावली दिनांक 1.11.2022 को तलबी हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 को अंतिम मौका दिया गया था जिस पर उसके द्वारा तलबी की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा पत्रावली में तलबी की कार्यवाही पूर्ण किए बिना गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बहस सुन ली गई साथ ही जो मोका रिपोर्ट परीक्षण न्यायालय के निर्णय की पालना में तलब की गई थी उक्त रिपोर्ट अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार की गई थी जो कि नियम 69(3) की पालना में तलब नहीं किए जाने से उक्त रिपोर्ट अपूर्ण थी जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 1149 में आने जाने के लिए अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 1022 में से 30 फीट चौडा रास्ता कायम कर त्रुटि की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस की रिकार्डेड खातेदारी काश्तकारी की आराजी में से रास्त प्रदान करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

से अनिवार्य था। उपरोक्त विधिक बिंदु को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 223/2021 (2021/450) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया और कथन किया कि खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 1149 रकबा 1.61 है0 किस्म आराजी 2 वाके ग्राम धुवलिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही वास्ता व सरोकार है। उक्त प्रार्थी की आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 30 फीट चैडा है जो गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1018 में से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 1022 रकबा 1.62 है0 किस्म आरानी 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी खसरा नम्बर 1020 रकबा 00.08 है0 किस्म आरानी 2 में स्थित है, एवं प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का उक्त खसरा नम्बर 1022 में मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त रास्ते को जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी में है, जिसे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 18.10.2021 को हकाई करके बंद कर दिया जिससे प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात में जाने आने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से आराजीयात बिना काश्त ही पडी रह जाएगी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 से काफी मिन्नते की कि उक्त रास्ते को बंद मत करो लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 नहीं माने और एलानिया धमकियां दी कि उक्त कदीमी रास्ता हमारी खातेदारी की आराजीयात में है हम इसे बंद करेंगे। हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता जिससे प्रार्थी को उक्त एक मात्र कदीमी रास्ता बंद होने के कारण बहुत परेशानियों को सामना करना पडा रहा है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में आने जाने का बैलगाडी टेक्टर टोली कृषि उपज लाने ले जाने पशुओं आदि को आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 30 फुट चौडा जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की आराजी खसरा 1020 व 1022 में स्थित है को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा टेस में भी रास्ते का इंद्राज किया जावे और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पाबंद किया जावे। अंत में प्रार्थना पत्र में रास्ता दिलवाने बाबत कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2022 का है, वकील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.1.2023 को अपील प्रस्तुत कर दी गई थी अपील अंदर मियाद पाई जाती है।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बहस के

4.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि उक्त अपीलाधीन प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2021 को दर्ज किया गया था और उसी दिनांक को उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत आदेश दिया गया। जबकि तलबी हुई नहीं थी मौका रिपोर्ट दिनांक 9.6.2022 को प्राप्त हुई है। दिनांक 1.11.2022 को भी पत्रावली तलबी हेतु नियत थी। दिनांक 22.11.2022 को बहस सुनी जाकर दिनांक 30.11.2022 को निर्णय दिया गया जबकि तलबी हुई नहीं थी। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग बताया गया था तलबी से पूर्व मौका रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है जो नियम 69 की अवहेलना है, जिसके अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए हमें सुने बिना एकपक्षीय निर्णय दिया गया है।

8. वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि इन्हें रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से तामिल करवाई गई मौका रिपार्ट गिरदावर के द्वारा बनाई गई है। 251 ए के प्रार्थना पत्र में न्यूनतम दूरी का रास्ता दिए जाने के निर्देश है। अन्य रास्ता लंबा है अन्य रास्ता 1151 निजी खाते की भूमियों से होकर गुजरता है। अपीलांट भी खसरा नम्बर 1018 गै0मु0 सडक से ही जाते हैं। आदेश की पालना हो चुकी है नम्बर दर्ज हो गए है। नक्शा ट्रेस में तरमीम हो चुकी है। हमारा परम्परागत यही रास्ता है।

9. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि क्या कोई जहां से रास्ता चाहे वहां से दिए जाने के निर्देश है चाहे वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का रास्ता है। मौका निरीक्षण के समय उभयपक्ष की उपस्थिति आवश्यक है। तलबी से पूर्व ही मौका रिपोर्ट मंगवाली गई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2022 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट, मौका पर्चा दिनांक 22.4.2022 नक्शा ट्रेस जिसमें वैकल्पिक रास्ता बताया गया है, का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम धुवालिया तहसील केकडी खाता नम्बर नया 171, 176, 207 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 /वादी की आराजी ग्राम धुवालिया के खसरा संख्या 1149 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1022 में से 240 वर्गमीटर 180 वर्गमीटर 96 वर्गमीटर भूमि पडती है (516 वर्गमीटर) जिसकी वर्तमान डीएलसी राशि का दोगुना वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी जमा करवाने हेतु सहमत है, मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में अंकन है जो निकटतम प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 ए आरटी एक्ट के स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

11. मौका पर्चा रिकार्ड दिनांक 22.4.2022 के अनुसार ग्राम धुवालिया से एकल सिंगा जाने वाली डामर सडक के लगवा पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1021 व 1022 के मध्य मेंड से रास्ता हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1049 में आने जाने हेतु चाहा गया है। दिया गया रास्ता नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बी रास्ते के रूप में दर्ज है जबकि इसी नक्शा ट्रेस में राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तावित ए रास्ता भी बताया गया है। दिए गए बी रास्ते का जब अवलोकन किया जाता है तो उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1021 व 1022 की मेड के साथ होता हुआ वादी/अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1149 तक पहुंचता है।

12. अधीनस्थ न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 2.11.2021 से 30.11.2022 तक का अवलोकन किया गया । यह सही है कि तहसीलदार केकडी से उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 2.11.2021 को ही जिस दिन प्रार्थना

4.11.24
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पत्र दर्ज किया गया था उसी दिन मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया गया था जबकि उस दिन तामिल हो ही नहीं सकती थी ना तामिल हुई थी। तामिल संबंधित वकील अपीलांट के आक्षेप को देखा गया पत्रावली पर उपलब्ध तामिल नोटिस को देखने से स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलांटगण को रजिस्टर्ड एडी से दिनांक 21.10.2022 को तामिल हुई है जबकि रामरत्न पुत्र मोहललाल वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 को अपर्याप्त पते की वजह से तामिल नहीं हुई वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 को तामिल होना पाया जाता है। मगर मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो गिरदावर व पटवारी द्वारा तैयार की गई है वह रिपोर्ट दिनांक 22.4.2022 की है स्पष्ट है कि तामिल करवाने से काफी महीने पूर्व ही मौका रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को कोई भी नोटिस मौके पर उपस्थित होने बाबत संबंधित गिरदावर द्वारा जारी नहीं किया गया है। निर्णय दिनांक 30.11.2022 को बकुलाय फरीकेन उपस्थित होना उपखण्ड अधिकारी द्वारा न्यायालय प्रोसिडिंग में दर्ज किया गया जब कि अपने अंकित निर्णय दिनांक 30.11.2022 में वकील प्रार्थी हनुमान प्रसाद शर्मा और तहसीलदार केकडी को उपस्थित दर्शाया गया। पूरी प्रकिया एकपक्षीय रूप से जल्दबाजी में संपन्न की गई है उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। जो कि नियम 69 के दी हुई प्रकिया का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 251 क के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम 68, 69, 70 तीन नियम बने हुए है। नियम 69 निम्ननुसार है–

नियम 69 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साईट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

क. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत(हॉलडिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है,एवं

ख. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

13. अपीलाधीन प्रकरण में गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना पाया जाता है मगर उसके द्वारा संबंधित पक्षकारों की मौके पर उपस्थिति बाबत कोई नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षकारों को आक्षेप आमंत्रित बाबत कोई नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता। यही भी सही है कि अपीलांट को तामिल हुए बिना ही बहुत माह पहले मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है जो नियमों का उल्लंघन है।

14. इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नियमों की पालना किए बिना जल्दबाजी में निर्णय दिया गया है। जो अपास्त होने योग्य है, अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय,

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 223/2021 (2021/450) रामनारायण बनाम नाथूराम एवं अन्य अंतर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाता है।

15. अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि नियमों के अनुसरण में पुनः प्रकरण का परीक्षण कर प्रार्थना पत्र का नए सिरे से तीन माह की अवधि में निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

4.1.24
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

4.1.24
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner